प्रेस विज्ञप्ति
21.06.2026

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत गोवा अवैध लौह-अयस्क खनन मामले में सलगांवकर (एवीएस) समूह से संबंधित भारत तथा सिंगापुर स्थित परिसंपत्तियों सहित कुल 1,023.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत **दिनांक 19.06.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश** के माध्यम से **1,023.85 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई गोवा राज्य में **सलगांवकर समूह तथा उसके सहयोगियों (''एवीएस समूह'')** द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अवैध लौह-अयस्क खनन से संबंधित मामले में की गई है।

कुर्क की गई परिसंपत्तियों में भारत में स्थित **99 अचल संपत्तियां (मूल्य लगभग 459.10 करोड़ रुपये), सिंगापुर में स्थित 31 अचल संपत्तियां (मूल्य लगभग 471.32 करोड़ रुपये)** तथा **भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर (मूल्य लगभग 93.42 करोड़ रुपये)** शामिल हैं। ये परिसंपत्तियां स्वर्गीय श्री अनिल वासुदेव सलगांवकर की संपदा (उनकी प्रशासिका श्रीमती लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), मेसर्स सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एस. कांतीलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सालिथो ओर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स सुबर्णरेखा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर धारित हैं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दर्ज अपराधों के संबंध में गोवा सीआईडी अपराध शाखा द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 21.04.2014 एवं 07.02.2018 के निर्णयों में यह भी माना कि 22.11.2007 के बाद (नई खनन पट्टों के निर्गमन तक) गोवा में किया गया समस्त खनन अवैध तथा विधिक प्राधिकार के बिना किया गया था।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि एवीएस समूह ने वर्ष 2007 से 2012 के दौरान **दस खनन पट्टों** का संचालन किया तथा लौह-अयस्क के अवैध उत्खनन, बिक्री एवं निर्यात के माध्यम से **2,492.95 करोड़ रुपये** की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की। अवैध रूप से खनन किए गए लौह-अयस्क का निर्यात अत्यंत कम मूल्य पर ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह में स्थापित शेल संस्थाओं (विशेष प्रयोजन वाहनों) को किया गया, जो मात्र कागजी मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही थीं। इन संस्थाओं ने उक्त लौह-अयस्क को आगे चीन में पुनः विक्रय किया, जिससे लगभग **2,744.89 करोड़ रुपये** का अतिरिक्त विदेशी व्यापारिक लाभ अर्जित किया गया। इस प्रकार **अपराध से अर्जित आय की कुल राशि लगभग 5,237.84 करोड़ रुपये** आंकी गई है। जांच में यह भी पाया गया कि इन निधियों को बीवीआई तथा सिंगापुर स्थित विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर परतबद्ध किया गया, उनका उपयोग विदेशों में पर्याप्त मात्रा में चल एवं अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु किया गया तथा इसका एक हिस्सा शेयर कैपिटल के रूप में दर्शाकर भारत में वापस प्रवाहित किया गया।

मामले में आगे की जांच जारी है।